भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 484
9 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान

484 श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री धर्मेंद्र कश्यप
श्री मनोज तिवारी,
श्री रवि किशन
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,
श्री सुधीर गुप्ता
श्री विद्युत बरन महतो
श्री प्रतापराव जाधव,

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क): क्या प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएनएसएनए) के अंतर्गत देश में सभी गर्भवती महिलाओं को सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल निःशुल्क और सार्वभौमिक रूप से प्रदान की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएलएनए के अंतर्गत आंवटित/जारी/उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ब्यौरा कया है;
(ग) पीएनएसएमए की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत कितना है;
(घ) पीएमएसएमए के अंतर्गत पैनलबद्ध देखभाल केंद्रों की 'राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;
(ङ) क्या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की टिप्पणियों से पता चलता है कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और झारखंड के कतिपय जिलों/क्षेत्रों में पीएमएसएमए के अंतर्गत प्रसव पूर्व देखभाल का लाभ उठाने वाली महिलाओं की संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो 'तत्सबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;
(च) क्या सरकार ने पीएमएसएमए की अपर्याप्तता/प्रभावकारिता को इसे समझने/रेखांकित करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या पीएमएसएमए की शुरुआत के परिणाम स्वरूप प्रसव के किए सरकारी अस्पतालों में जाने वाली महिलाओ के प्रतिशत के संबंध मे एक बेहतर प्रवृत्ति उभरकर आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के संबंध में महिलाओं के बीच जागरकता फैलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) भारत सरकार ने गर्भावस्था के दूसरी/तीसरी तिमाही में सभी गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह के 9वें दिन निश्चित दिवस, निशुल्क, सुनिश्चित, आश्वस्त व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) शुरू किया है। स्थापना के बाद से, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के तहत 3.6 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं ने व्यापक प्रसवपूर्व परिचर्या प्राप्त की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) कार्यकलापों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधियों का अनुमोदन **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(ग) और **(घ)** पीएमएसएमए की शुरूआत से अब तक इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक**-2 में दी गई है।

पीएमएसएमए के अंतर्गत सूचीबद्ध देखभाल केन्द्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक**-2 में दी गई है।

(ङ, च और छ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 4 प्रसवपूर्व देखभाल के लिए आने वाली माताओं का प्रतिशत एनएफएचएस-4 (2015-16) में 51.2% से बढ़कर एनएफएचएस-5 (2019-21) में 58.1% हो गया है और जन स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत जन्म देने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत एनएफएचएस-4 (2015-16) में 52.1% से बढ़कर 61.9% हो गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के दौरान प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी), अंतर-व्यक्तिगत संचार (आईपीसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) कार्यकलापों के माध्यम से मांग पैदा करना है। जन जागरूकता बढ़ाने में दृश्य-श्रव्य और प्रिंट मीडिया का व्यापक उपयोग आईईसी/बीसीसी अभियान का एक अभिन्न अंग है। सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) पीएमएसएमए के दौरान सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समुदाय और संभावित लाभार्थियों को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अनुलग्नक 1

<u>वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक एनएचएम के तहत आरसीएच फ्लैक्सिबल पूल के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) कार्यकलापों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुमोदन (लाख में)</u>

क्रं सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.00	3.00	6.33
2	आंध्र प्रदेश	-	-	31.00
3	अरुणाचल प्रदेश	13.50	13.00	15.00
4	असम	49.59	46.58	39.50
5	बिहार	671.72	500.00	620.82
6	चंडीगढ़	2.40	2.40	2.40
7	छत्तीसगढ	20.00	14.37	6.10
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	-	-
9	दिल्ली	12.00	-	6.00
10	गोवा	0.37	0.10	0.10
11	गुजरात	48.50	54.00	46.50
12	हरियाणा	29.00	32.50	32.50
13	हिमाचल प्रदेश	-	-	48.00
14	जम्मू और कश्मीर	38.00	35.00	22.00
15	झारखंड	292.00	622.00	99.00
16	कर्नाटक	43.00	43.00	43.00
17	केरल	18.00	9.00	7.00
18	लद्दाख	-	12.92	12.92
19	लक्षद्वीप	0.20	0.22	0.40
20	मध्य प्रदेश	13.10	10.00	52.16
21	महाराष्ट्र	34.00	33.55	34.37
22	मणिपुर	15.00	55.75	55.75
23	मेघालय	7.50	7.50	7.80
24	मिजोरम	3.30	6.60	7.21
25	नागालैंड	1.00	1.58	1.58
26	ओडिशा	41.00	41.00	36.00
27	पुदुचेरी	-	-	1.60
28	पंजाब	25.00	30.00	5.50
29	राजस्थान	41.75	42.92	75.37
30	सिक्किम	2.50	2.50	2.50
31	तमिलनाडु	-	15.80	3.16
32	तेलंगाना	6.40	6.40	9.24
33	त्रिपुरा	4.76	8.00	16.82
34	उत्तर प्रदेश	107.95	99.41	68.20
35	उत्तराखंड	5.60	5.60	5.60
36	पश्चिम बंगाल	29.00	30.00	342.72

(राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों के अनुसार)

अनुलग्नक 2

पीएमएसएमए के अंतर्गत उसकी शुरूआत से लाभ उठाने वाली महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

क्रं सं	राज्य	पीएमएसएमए के तहत परिचर्या प्राप्त गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की कुल संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	15521	34
2	आंध्र प्रदेश	2920673	1927
3	अरुणाचल प्रदेश	23904	48
4	असम	461602	232
5	बिहार	4276030	591
6	चंडीगढ़	42939	14
7	छत्तीसगढ	1181295	666
8	दादरा और नगर हवेली	24065	12
9	दमन और दीव	31105	8
10	दिल्ली	426531	503
11	गोवा	37763	38
12	गुजरात	2184017	948
13	हरियाणा	1380116	555
14	हिमाचल प्रदेश	337892	774
15	जम्मू और कश्मीर	262427	148
16	झारखंड	868202	253
17	कर्नाटक	1557361	2100
18	केरल	40464	27
19	लक्षद्वीप	5398	10
20	मध्य प्रदेश	3350612	503
21	महाराष्ट्र	2946087	1434
22	मणिपुर	58533	82
23	मेघालय	95843	183
24	मिजोरम	43841	82
25	नागालैंड	14608	45
26	ओडिशा	1032545	546
27	पुदुचेरी	7566	151
28	पंजाब	614074	317
29	राजस्थान	2586638	3057
30	सिक्किम	7932	5
31	तमिलनाडु	2283945	878
32	तेलंगाना	1265112	1026
33	त्रिपुरा	48689	147
34	उत्तर प्रदेश	5477839	101
35	उत्तराखंड	122934	1620
36	पश्चिम बंगाल	615246	766

(स्रोत: पीएमएसएमए पोर्टल)